18/2007

वकील वादी तथा वादी स्वयं अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगाई गई। परन्तु अनुपस्थित देख निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर के मद हो कर तकमील जाया दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)